प्रधान सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2016, 10.08.2016, 11.08.2016 एवं 17.08.2016 को राजस्व संग्रहण से संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :

बैठक की उपस्थिति :–

1. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना
2. विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
3. अवर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
4. विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
5. सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार
6. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार
7. सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार
8. सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक / निरीक्षक, बिहार ।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा महालेखाकार, बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008–2009, 2011–2012, 2012–2013 एवं 2013–2014 में की गई आपत्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसे एक सप्ताह के अन्दर निराकरण करने का निदेश दिया गया।

2. राज्य परिवहन आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2015–2016 की आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं, जिनको विभागीय Websiteपर up-load कर दिया गया है, तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को E-mail भी किया जा चुका है, इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर साक्ष्य सहित उत्तर सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य है । जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रेषित उत्तर सामग्री अप्राप्त होने के आलोक में निदेश दिया गया कि पुनः प्रति भेज दी जाय। समीक्षा के क्रम में डी0टी0ओ0, पूर्णियाँ, एवं भागलपुर से प्राप्त उत्तर सामग्री पर असंतोष व्यक्त करते हुए दोषी वाहन स्वामी पर डिमांड नोटिस के बाद Certificate Case करने का निदेश दिया गया, साथ ही जिला स्तर पर आवधिक समीक्षा पर भी बल दिया गया । राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा वाहन विक्रेताओं से Trade Tax वसूलने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

3. राजस्व संग्रहण के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा समीक्षा की गई ।

स्पष्ट किया गया कि राजस्व संग्रहण विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है, **अतः** सभी स्तरों पर (MVI एवं ESI सहित) सारा ध्यान शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति पर होना **चाहिए** ।

समीक्षा के क्रम में राजस्व संग्रहण में विगत कई माह में हो रही कमी पर **असन्तोष** व्यक्त करते हुए प्रधान सचिव ने मोटरयान निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षको/**निरीक्षकों** को अगस्त माह तक शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति का निर्देश दिया। उन्होंने माह अग**स्त,** 2016 तक निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध :

पटना के MVI श्री संजय कुमार अश्क को – 36.00 लाख

पटना के MVI श्री अमिताभ कुमार को – 40.00 लाख

भोजपुर के MVI श्री राजीव रंजन को – 25.00 लाख

रोहतास के MVI श्री मृत्यंजय कुमार सिंह को – 1.25 करोड़

मुजफ्फरपुर के MVI श्री एस0के0टाईगर को – 90.00 लाख

मोतिहारी के MVI श्री उपेन्द्र राव को – 35.00 लाख

बेतिया के MVI श्री अरूण कुमार को – 28.00 लाख

सितामढी के MVI श्री सुनील कुमार सिंह को – 30.00 लाख

वैशाली के MVI श्री अनुप कुमार सिंह को –30.00 लाख

छपरा के MVI श्री विनय शंकर तिवारी को – 20.00 लाख

गोपालगंज के MVI श्री दिव्य प्रकाश को – 70.00 लाख

सिवान के MVI श्री राकेश कुमार को – 35.00 लाख

गया के MVI श्री दिलीप कुमार को – 90.00 लाख

जहानाबाद के MVI श्री श्रीमती अर्चना कुमारी को – 50.00 लाख

औरंगाबाद के MVI श्री रंजीत कुमार को – 90.00 लाख

नवादा के MVI श्री सुजीत कुमार को – 76.00 लाख

अरवल के MVI श्री रंजीत कुमार को – 15.00 लाख

मुंगेर के MVI श्री संजय कुमार को 25.00 लाख

बेगुसराय के MVI श्री विनोद कुमार (2) को – 75.00 लाख

खगड़िया के MVI श्री राजीव कुमार सिंह को 65.00 लाख

जमुई के MVI श्री अजय कुमार को – 20.00 लाख

पूर्णियाँ के MVI श्री पार्थ सारथी को 40.00 लाख

किशनगंज के MVI श्री कुमार विवेक को – 50.00 लाख

भागलपुर के MVI श्री गौतम कुमार को – 90.00 लाख

बांका के MVI श्री एस0एस0 त्रिपाठी को – 75.00 लाख

दरभंगा के MVI श्री एस0पी0तिवारी को – 25.00 लाख

मधुबनी के MVI श्री सुनील कुमार सिंह को – 25.00 लाख

समस्तीपुर के MVI श्री सुनील प्रकाश तिवारी को – 1.1 करोड़

सहरसा के MVI श्री निशांत कुमार को – 40.00 लाख

सुपौल के MVI श्री अनिल कुमार को – 9.00 लाख

पटना के ESI श्री अरूण कुमार को – 80.00 लाख

पटना के ESI श्री हेमन्त कुमार प्रसाद को – 1.12 करोड़

पटना के ESI श्री हरेराम कुमार को – 1.12 करोड़

नालंदा के ESI श्री अनीस कुमार को – 26.00 लाख

रोहतास के ESI श्री प्रभाष झा को – 54.00 लाख

बक्सर के ESI श्री मदन मोहन सिंह को – 20.00 लाख

भभुआ के ESI मो० इम्तियाज अहमद को – 50.00 लाख

भभुआ के ESI श्री सतीश कुमार को – 1.78 करोड़

मुजफ्फरपुर के ESI श्री हरिशंकर कुमार को – 75.00 लाख

मुजफ्फरपुर के ESI श्री अनिल कुमार सिंह को – 25.00 लाख

मोतिहारी के ESI श्री सुमन कुमार सिन्हा को – 90.00 लाख

सीतामढ़ी के ESI श्री राजीव कुमार को – 75.00 लाख

वैशाली के ESI श्री शिव कुमार को – 50.00 लाख

वैशाली के ESI श्री पंकज को – 50.00 लाख

शिवहर के ESI श्री राजीव कुमार को – 50.00 लाख

छपरा के ESI श्री अंजनी कुमार पाठक को – 1.25 करोड़

गोपालगंज के ESI श्री प्रमोद भारती को – 1 करोड़

सिवान के ESI श्री गोपाल मिश्रा को – 75.00 लाख

गया के ESI श्री पवन कुमार को – 1.41 करोड़

गया के ESI श्री गरियन मृत्युंजय को – 1.38 करोड़

गया के ESI श्री अमित कुमार गुप्ता को – 1.62 करोड़

जहानाबाद के ESI श्रीमती विभा कुमारी को – 1.37 करोड़

औरंगाबाद के ESI श्री प्रभास चन्द्र झा को – शत-प्रतिशत

नवादा के ESI श्री धर्मवीर कुमार आजाद को – 70.00 लाख

नवादा के ESI श्री राकेश कुमार को – 1.03 करोड़

अरवल के ESI श्री दिनेश पासवान को – 1.50 करोड़

बेगुसराय के ESI श्री मनोज कुमार रंजन को – 1.70 करोड़

जमुई के ESI श्री विकास कुमार को – 65.00 लाख

शेखपुरा के ESI श्री अनीस कुमार को – 1.24 करोड़

पूर्णियाँ के ESI श्री श्यामनन्दन प्रसाद को – 1.50 करोड़

पूर्णियाँ के ESI श्री चैतन्य नवीनम को --1.10 करोड़

अररिया के ESI श्री अमरेन्द्र कुमार को- 35.00 लाख

कटिहार के ESI श्री मनोज कुमार को– 95.00 लाख

भागलपुर के ESI श्री शैलेन्द्र कुमार को – 90.00 लाख

भागलपुर के ESI श्री कुन्दन कुमार को – 75.00 लाख

बांका के ESI श्री विकास कुमार को – 85.00 लाख

बांका के ESI श्री संदीप कुमार को – 1.10 करोड़

बांका के ESI श्री हरेराम कुमार को – 60.00 लाख

दरभंगा के ESI श्री ललित कुमार दूबे को – 50.00 लाख

समस्तीपुर के ESI श्री अशोक कुमार पासवान को– 85.00 लाख

सहरसा के ESI श्री विनोद कुमार को -- 70.00 लाख रूपये का लक्ष्य अगस्त 2016 तक पूरा करने का निदेश दिया ।

(अनुपालन--सभी जिला मोटर यान निरीक्षक / प्रवर्तन अवर निरीक्षक / निरीक्षक)

4. प्रधान सचिव ने सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को यह निदेश दिया कि अपने प्रमंडल के सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ मासिक बैठक करेंगे । उन्होंने यह भी निदेश दिया कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक करेंगे, तथा सभी छोटी–मोटी समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर ही करेंगे । उन्होंने उक्त बैठक हेतु एक चेक–लिस्ट मुख्यालय स्तर पर तैयार करने का निदेश दिया ।

(अनुपालन: सभी आर.टी.ए. / सभी डी.टी.ओ. / संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त / विशेष सचिव, परिवहन विभाग एवं संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी)

5. सभी मोटर यान निरीक्षक एवं सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को निदेश दिया गया कि वे अपने प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को भी समर्पित किया करेंगे।

(अनुपालन– सभी जिला मोटर यान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/निरीक्षक)

6. प्रधान सचिव ने MVI Manual (हस्तपुस्तिका) तैयार करने हेतु एक समिति गठित करने का निदेश दिया जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी सदस्य होंगे :

1. विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री आजीव वत्सराज),
2. श्री अमिताभ कुमार, मोटर यान निरीक्षक एवं
3. श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, मोटर यान निरीक्षक ।

उक्त समिति एम.भी.आई. के द्वारा सम्पादित होने वाले कार्यों के संबंध में सुसंगत धाराओं का उल्लेख करते हुए बनाया जाएगा ।

(अनुपालन–सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी जिला मोटर यान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/निरीक्षक)

7. बैठक में उपस्थित सभी प्रर्वतन अवर निरीक्षकों ने समय पर वेतन नहीं मिलने, वाहन तथा ईंधन का पैसा नहीं मिलने तथा परिचय पत्र नहीं मिलने से होने वाली कठिनाईयों से प्रधान सचिव को अवगत कराया। उन्होंने चार माह पर स्थानान्तारण होने पर उत्पन्न कठिनाइयों से भी प्रधान सचिव को,अवगत कराया ।

प्रधान सचिव ने स्थानान्तरण के मामले में मूल भूत सुधार का आश्वासन दिया साथ ही उन्होंने केन्द्रीयकृत रूप से वाहन भाड़े पर लेकर इस समस्या को शीघ्र दूर करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया। परिचय पत्र जारी करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(अनुपालन– विशेष सचिव/संबंधित प्रशाखा पदाधिकरी–3/7)

8. बैठक में कतिपय मोटरयान निरीक्षक तथा प्रवर्तन अवर निरीक्षकों द्वारा पुलिस को दिये गये शमन शक्ति के दुरूपयोग के संबंध में प्रधान सचिव को अवगत कराया गया । यह सूचित किया गया कि कतिपय पुलिस पदाधिकारी द्वारा सीजर रसीद एवं मनी रसीद छपवा कर वसूली की जा रही है ।

उक्त के संबंध में प्रधान सचिव ने साक्ष्य सहित डाटा उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया ताकि शमन शक्ति के दुरूपयोग रोकने हेतु उच्च स्तर पर इसकी समीक्षा की जा सके ।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटर यान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/निरीक्षक)

9. क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मांग थी कि सी.यू.जी. दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराया जाय। प्रधान सचिव ने इसपर सहमति व्यक्त करते हुए विभाग को अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया।

(अनुपालन–विशेष सचिव / संबंधित प्रशाखा पदाधिकरी)

10. समय पर वेतन नहीं मिलने के संबंध में प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि संबंधित शाखा यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन का आवंटन चला जाय। अवर सचिव ने इस संबंध में कुछ कठिनाइयों का जिक्र करते हुए बताया कि समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों से सही मांग प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अनुमान से मांग वित्त विभाग को प्रेषित किया जाता है जिसके कारण इस तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। संबंधित सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे विभाग द्वारा मांग मांगे जाने पर समय पर सही सूचनायें उपलब्ध करा दे ताकि बजट में उसका प्रावधान किया जा सके।

11. डाटा इंट्री ऑपरेटर के संबंध में प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि हर डाटा इंट्री ऑपरेटर के कार्यो को सूक्ष्मता से मोनिटर किया जाय ताकि राजस्व संग्रहण में कोई विषमता नही रह जाय। प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि जहाँ पर भी डाटा इंट्री ऑपरेटर के स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल में कमी हो, वहाँ जिला स्तर से ही कार्यपालक सहायक की सेवायें ली जा सकती है। जिलों में कार्यरत एवं स्थानान्तरित वैसे डाटा इंट्री ऑपरेटर जिन्हें अभी तक विरमित नहीं किया गया है, को अविलम्ब विरमित करने का निर्देश दिया गया । यदि दिनांक– 17.08.2016 तक ये कर्मी विरमित नहीं होते हैं, तो यह मान लिया जायेगा कि वे अब कार्यरत नहीं हैं एवं उनकी सेवा बेल्ट्रॉन को वापस समझी जायेगी । साथ ही, वैसे अक्षम डाटा इंट्री ऑपरेटर जो कार्य करने में निपुण नहीं है उन्हें जिला परिवहन पदाधिकारी पहचान कर उनकी सेवा बेल्ट्रॉन को वापस करने का प्रस्ताव भेजें ।

(अनुपालन – विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रशाखा–2 / सभी आर.टी.ए. / डी.टी.ओ.)

12. संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना को निदेश दिया गया कि पटना जिला के Dealer point wise दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016 तक की अवधि में Smart card का सत्यापन करेंगे। स्मार्ट कार्ड की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर मंगलवार (9 अगस्त 2016) तक रिपोर्ट देंगे एवं पटना प्रमंडल के बाकी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर स्मार्ट कार्ड की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर शुक्रवार (12 अगस्त 2016) तक रिपोर्ट देंगे।

प्रधान सचिव ने अन्य सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार /सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने जिले के Dealer point wise, Smart card का सत्यापन कर शीध्र प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। प्रधान सचिव ने यह भी निदेश दिया कि आर0सी0 तथा डी0एल0 कार्ड की मांग वास्तविक आवश्यकतानुसार आर0टी0ए0 की माध्यम से की जाय ।

(अनुपालन–सभी आर.टी.ए. / सभी डी.टी.ओ.)

13. Server की जांच तथा Computer के रख–रखाव हेतु मुख्यालय स्तर पर एक Help Desk की स्थापना की आवश्यकता पर राज्य परिवहन आयुक्त ने सुझाव दिया ।

14. प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति की द्विमासिक बैठक आहूत कर बैठक की कार्यवाही शीघ्र भेजेंगे।

सभी डी.टी.ओ.यातायात नियमों से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि सड़क सुरक्षा के संबंध में हुई प्रगति का पता चल सके । उन्होंने मुख्यालय स्तार पर विहित प्रपत्र तैयार करने हेतु निदेश दिया ।

(अनुपालन– सभी डी.टी.ओ. /प्रभारी पदाधिकारी, स0सु0को0)

15. राज्य परिवहन आयुक्त ने निदेश दिया कि पटना / गया / मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी अपने शहर के Pollution Level की जांच कर सप्ताहिक प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन– डी.टी.ओ., पटना / गया / मुजफ्फरपुर)

16. प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि जो एम.भी.आई. / ई.एस.आई. दो स्थानों के प्रभार में हैं उनके दोनों स्थानों पर कार्य अवधि का निर्धारण राज्य परिवहन आयुक्त करेगें ।

(अनुपालन– प्रशाखा–5 एवं 7 परिवहन विभाग)

17. प्रधान सचिव के निदेश पर श्री आजीव वत्सराज, विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग ने बेतिया में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा कम्प्यूटर के साथ की गयी छेड़–छाड़ तथा वित्तीय अनियमितताओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला । उन्होंने जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ एवं सहरसा में हो रही अनियमितताओं पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु कतिपय सुझाव भी दिये ।

18. प्रधान सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने तथा कम्प्यूटर प्रणाली को सुरक्षिततता की हर हाल में बहाल रखने का निदेश दिया। इस संदर्भ में प्रधान सचिव के पत्रांक–4758 दिनांक 04.08.2016 पर विस्तृत विमर्श हुआ ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई ।

ह0/–
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 3/सांख्यिकी (विविध)-24/16 5127 / दिनांक 23/8/16

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार/ सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/8

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 5127 / दिनांक 23/8/16

प्रतिलिपि– राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना /विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना /अवर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/8

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 5127 / दिनांक 23/8/16

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

23/8

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।